क्रमांक 62/9/94-6जी0 एस0-I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक एवं गुड़गावां मण्डल/सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार पंजाब व हरियाणा, हाईकोर्ट तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़, 17 अगस्त, 1994

विषय :---साधारण निर्वाचन और उप-निर्वाचन-सरकारी वाहनों के प्रयोग और मंत्रियों के दौरों के सम्बन्ध में अनुदेश ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त पत्र क्रमांक 437/6/94 दिनांक 8-5-94 की प्रति इस अनुरोध के साथ भेजूं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों की दृढ़ता से अनुपालना की जाए ।

2. ये हिदायतें आपके सभी सम्बन्धित कर्मचारियों के ध्यान में भी अनुपालना हेतु ला दी जाए ।

भवदीय

हस्ता/-

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन-I,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति अनुलग्नक की प्रति सहित सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित है । उनसे अनुरोध है कि उनके अधीन सभी विभागों से इन हिदायतों को दृढ़ता के साथ अनुपालना सुनिश्चित करवायें ।

भवदीय,

हस्ता/-

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन-I,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार ।

प्रशा0 क्रमांक 62/9/94-6 जी0 एस0-I दिनांक 17 अगस्त, 1994

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली–110001
तारीख 8 मई, 1994

सं0 437/6/94

सेवा में

1. मंत्रीमंडल सचिव,
गृह मंत्रालय
नार्थ ब्लाक
नई दिल्ली।

2. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य सचिव।

3. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय :—साधारण निर्वाचन और उप निर्वाचन–सरकारी वाहनों के प्रयोग और मंत्रियों के दौरों के सम्बन्ध में अनुदेश।

महोदय,

आयोग के पत्र सं0 437/6/93–योजना अनुभाग–II तारीख 31 दिसम्बर, 1993 द्वारा निर्वाचनों के दौरान प्रचार, निर्वाचन सम्बन्धी कार्य या निर्वाचन सम्बन्धी यात्रा के लिए सरकारी वाहनों के प्रयोग पर पूर्व तथा सर्वथा प्रतिबन्ध हेतु दोहराया था और यह निदेश दिया था कि किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या निर्वाचन से सम्बन्धित किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी वाहन प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा।

2. यह भी स्पष्ट किया गया था कि इन अनुदेशों के उद्देश्य केलिए "वाहन" का मतलब है और जिसमें परिवहन के उद्देश्य के लिए प्रयोग होने योग्य या प्रयोग किए जाने वाला कोई वाहन सम्मलित होगा चाहे वह यांत्रिक शक्ति से चलता हो या अन्यथा और जिसमें ट्रक, लॉरी टेम्पों, जीप, कार, आटो–रिक्शा, बस, वायुयान, हेलीकाप्टर, जलयान, नाव, होवरक्राफ्ट और अन्य सभी औरकोई वाहन जो (1) केन्द्रीय सरकार (2) राज्य सरकार (3) केन्द्रीय और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम (4) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम (5) स्थानीय निकायों (6) नगर निगमों (7) नगर पालिकाओं (8) विपणन बोर्ड (जिस नाम से भी जाने जाते हों) (9) सरकारी समितियां (10) स्वायत्त जिला परिषदों या कोई अन्य कोई निकाय जिसमें सार्वजनिक निधि के कुल जमा का भले ही थोड़ा सा हिस्सा निवेश किया गया हो, के हों तथा रक्षा मंत्रालय और साथ ही गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के अधीन केन्द्रीय पुलिस संगठनों के हों।

3. अपने पत्र सं0 437/6/94 तारीख 2 फरवरी, 1994 द्वारा आयोग ने निर्वाचन प्रचार से सम्बन्धित मन्त्रियों के दौरे के बारे में गृह मंत्रालय के परिपत्र पत्र सं0 10/17/89–एम एण्ड जी, तारीख 1 नवम्बर, 1989 की ओर ध्यान आकृष्ट कराया था और यह अवलोकित किया कि उन अनुदेशों को बिना किसी भय के अवज्ञा की गई और इसलिए उपर्युक्त तारीख 1 नवम्बर, 1989 के गृह मंत्रालय के अनुदेशों को किसी भी रूप में अवहेलना करने संशोधन करने या प्रभावित करने के बिना और अनुदेश जारी किए।

4. 1994 को रिट याचिका (सिविल) सं0 312 (तमिलनाडू राज्य बनाम भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य), जिसे तमिलनाडू के मुख्यमंत्री के मामले में छूट लेने हेतू तमिलनाडू राज्य द्वारा दाखिल किया गया था, में उच्चतम न्यायालय के तारीख 29–4–1994 के आदेश को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर आयोग द्वारा विचार किया गया। उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में निम्न प्रकार से निदेश दिया है :—

> "जबकि हमें निर्वाचन प्रक्रिया को स्वच्छता और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान की सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए प्रयत्नों की जानकारी है हमें यह डर है कि निर्वाचन आयोग जैसा कि वह यहां करना चाहता है, विभिन्न राजनीतिक व्यक्तियों को सुरक्षा अपेक्षाओं को विचार से निकाल नहीं सकता, जिन्हें उग्रवादी और आतंकवादी गतिविधियों और उनकी जान के खतरे को देखते

निर्वाचन आयोग ने किया है और सभी अर्थों को वंचित करने से समस्या का उचित बोध और मूल्यांकन प्रदर्शित नहीं हो सकता जैसा कि तारीख 31 मार्च, 1994 को संवाद करना चाहता है । सभी घटनाओं में निर्वाचन आयोग का सांविधानिक उपबंधों को ध्यान में रखना होगा..........तथापि हम एक पहलू स्पष्ट कर लें । निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग के उत्तरदायित्व और कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र है कि यदि उसके पास सन्देह करने के लिए सामग्री है कि अध्यादेश के अधीन तमिलनाडु विशेष सुरक्षा ग्रुप के निदेशक द्वारा किए गए सुरक्षा आवश्यकताओं का मूल्यांकन स्पष्टतः और अनुचित रुप से अत्याधिक है जिससे, अप्रत्यक्ष रुप से, पक्षपाती निर्वाचन हितों को बढ़ावा मिलता हो, तो वह ऐसे मामले को उपयुक्त दोषनिवारक कदमों के लिए राज्य सरकार के ध्यान में लाएं ।"

5. भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय ने तारीख 3/5-5-1994 के अपने पत्र सं0 10/22/94-एस0एस0 द्वारा आयोग को सूचना में यह लाया है कि विशेष सुरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 के उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित को समीप्य सुरक्षा के लिए सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाता है :—

(i) प्रधानमंत्री और उसके निकटतम परिवार के सदस्य, और

(ii) किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री या उसके निकटतम परिवार के सदस्यों को पूर्व प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री के पद छोड़ने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक ।

6. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है कि ऊपर उल्लिखित परिपत्र स0 437/6/93-योजना [[...]] तारीख 31-12-93 का पैरा 3 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा :—

3 (क) उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित प्रतिबन्धों से केवल प्रधानमंत्री और राजनैतिक व्यक्ति जिन्हें उग्रवादी और आतंकवादी कार्यकलापों को तथा उनके जान के खतरे को देखते हुए उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता है और जिनकी सुरक्षा की अपेक्षाएं इस हेतु संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा शासित हैं, अपवाद होंगे ।

3 (ख) आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए आयोग के पास यदि संदेह की सामग्री है कि ऊपर उल्लिखित विशेष अधिनियमों या सरकार के कोई अन्य विशेष अनुदेशों के अधीन प्राधिकारियों द्वारा किए गए सुरक्षा आवश्यकताओं का मूल्यांकन स्पष्टतः या अनुचित रुप से अत्यधिक हो जो अप्रत्यक्षतः पक्षपाती निर्वाचन हितों को बढ़ावा देता हो तो उचित दोषनिवारक कदम उठाने हेतु केन्द्रीय सरकार और/या जैसा भी मामला हो राज्य सरकार के ध्यान में लाये ।

3 (ग) इसे प्राप्त करने के लिए आयोग ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में की गई सुरक्षा की अपेक्षाओं के मूल्यांकन के सम्बन्ध में सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से किसी भी सूचना की मांग कर सकता है । ऐसी सूचना सम्बन्धित सरकार द्वारा आयोग को तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी ।

7. तारीख 31-12-1993 के पत्र में निहित सभी दूसरे अनुदेश और आदर्श आचरण संहिता के सम्बन्ध में समय-समय पर आयोग द्वारा जारी अन्य स्थाई अनुदेश और दूसरे सम्बन्धित अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे लेकिन किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जो किसी भी रुप में न्यायालय के आदेश के सर्वथा वस्तुतः अनुरुप न हो ।

8. सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इन अनुदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए निदेश दिया जाता है ।

9. कृपया इस पत्र की प्राप्ति सूचना भेज दी जाए ।

भवदीय,

हस्ता0/-

(के0पी0जी0 कुट्टी)